

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334] No. 334] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2000/ज्येष्ठ 26, 1922

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2000/JYAISTHA 26, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2000

(आयकर)

सा. का. नि. 542(अ).—चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और पुर्तगाल गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित अभिसमय उन राजनियक टिप्पणियों के आदान-प्रदान की तारीख के तीस दिन बाद से 30 अप्रैल, 2000 को लागू हो गया है जिनमें उल्लेख किया गया है कि उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 29 के अनुसार इस अभिसमय के प्रवृत्त होने के लिए प्रत्येक संविदाकारी राज्य में आंतरिक विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी है।

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे ।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार

और

पूर्तगाल गणराज्य की सरकार

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और पूर्तगाल गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय निष्पन्न करने की इन्छा से निम्न प्रकार से सहमित हुई है :-

अध्याय I

अधिसमय का कार्य क्षेत्र

अनुस्केद - 1

वैयक्तिक कार्य क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से एक अथवा दोनों, के निवासी

अनुच्छेद - 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

- यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्रधिकरणों की और से लगाए गए करों पर लागू होगा चाहे ये किसी भी प्रकार से लगाए जाएं ।
- 2. सकल आय अधवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर करों के रूप में माना जाएगा जिनमें चल अधवा अचल सम्पित के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर कर तथा उद्यमों द्वारा अदा की गई मजदूरियों और वेतनों की राशियों पर लगाए गए कर भी शामिल होंगे।
- जिन मौजूदा करों पर यह अधिसमय लागू होगा, वे विशेषतया इस प्रकार हैं :-
- १कश पूर्तगाल गणराज्य के मामले में :
 - हैं। वैयक्तिक आयकर हझपेस्ये सोन्न ओ रेंडिमेंये डास फ्लोअस सिंगुलार्स-आई आर एसह ;
 - हैं।iंहें निगम आयकर ह़ंझपोस्टो सोब्र ओ रैंडिमेंटो डास पेसाअस कोलेविटवस –आई आर सीहें ;
 - ∦iii हे निगम आयकर हेडेरामा हे पर स्थानीय उप कर ;

§ जिसे इसके बाद "पूर्नगाली कर" कहा जाएगा§

१ स १ भारत गणराज्य के मामले में :

आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिमार भी शामिल है ;

§ जिसे इसके बाद 'भारतीय कर" कहा जाएगा§ ।

4. यह करार किसी भी समस्प अधवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा, जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अधवा उनके स्थान पर लगाए जाते हैं। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिकर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिस्वित करते रहेंगे।

मध्याय 🛚

पीक्पापाएं

बनुष्ठेव - 3

सामान्य परिमापाएं

- 1 इस अग्रिसमय के प्रयोजनार्ध जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो :
- १क "पुर्तगाल" पर से अधिप्रेत है यूरोपियन महाविष में स्थित पुर्तगाल गणराज्य का राज्य क्षेत्र, एजोर्स तथा मेडीरा के विष समूह, क्षेत्रीय समुद्र तथा कोई अन्य जोन जिस पर पुर्तगाली कानूनों एवं अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, पुर्तगाल गणराज्य का अपना क्षेत्राधिकार अथवा समुद्र तल और अवमृदा तथा उर्घ्यवर्ती जलों के प्रकृतिक स्रोतों की सोज एवं शोधन के संबंध में इसके प्रमुसत्ता सम्पन्न अधिकार हों;
- १स१ "भारत" पद से अभिफ्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र तथा इसमें उसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके उत्पर की वायु सीमा सम्मिलित है तथा कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के 1982 के अभिसमय सिंहत भारतीय कानून के अनुसार और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रमुतासम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;
- §ग है "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पर्दों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार पूर्तगाल अथवा भारत अभिप्रेत है ;
- §घ हैं पकर" पद से संदर्भ की अपेक्षानुसार पूर्तगाली कर अधवा भारतीय कर अभिप्रेत है ;
- §ड § "व्यक्ति" पद से कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय अथवा कोई अन्य सत्ता अमिप्रेत है जिसे किसी संबंधित संविदाकारी राज्य में प्रकृत कानूनों के तहत एक कर योग्य इकाई के रूप में माना जाता हो ;
- हैच है "कम्पनी" पद से कोई निर्गामत निकाय अधवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए पक निर्गामत निकाय के रूप में माना जाता हो ;
- हज है "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अधवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अधवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;

- हंब्रहे "सक्षम प्रश्चिकारी" पद से अभिप्रेत है :
 - § i । पुर्तगाल में : वित्त मंत्री अथवा कराधान महानिदेशक । महानिदेशक डास इम्पोस्टास । अथवा
 उनका प्रधिकृत प्रतिनिधि ;
 - \$ i i ∮ भारत में : केन्द्रीय सरकार का कित मंत्रालय हराजस्व किमाग है अधवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- हज़ "राष्ट्रिक" पद से अभिग्रेत है :
 - 🕴 i 🖟 किसी सीवदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यप्टि 🗦
 - हैं। । कोई कानूनी व्यक्ति, भागीवारी अधवा संस्था जिसे अपनी ये हैसियत किसी सीववाकारी राज्य में प्रकृत कानूनों से उस रूप में प्रष्टत होती हो ;
- इंट्रइ "कित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :
 - । पूर्वगाल के मामले में, आई-आर-एस- सीहता में बताया गया सिक्ति वर्ष अधवा
 आई-आर-एस- सीहता में पिरमाधित कराधान अविध ;
 - हैं। हैं। भारत के मामले में, "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की घारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
- 2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वरा किसी भी समय इस अभिसमय को लागू करने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक उसमें किसी भी अपिक्षिभित पद का वही अर्थ होगा जो उन करों के प्रयोजनार्थ उस राज्य के कानून के अंतर्गत उस समय अर्थ होगा जिनके लिए यह अभिसमय लागू होता है और उस राज्य के अन्य कानूनों के अंतर्गत उस पद का जो भी अर्थ लगाया जाएगा उस पर उस राज्य के प्रयुक्त कर कानूनों के अंतर्गत किसी भी अर्थ को प्रधानता दी जाएगी ।

निवसी

- 1 इस अग्रिसमय के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अग्रिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अग्रिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौठी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है । तथापि इस पद में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में उस राज्य के स्रोतों से प्रष्टत आय के बारे में ही कर लगाया जा सकता है ।
- 2 · जहां पैराग्राफ 1 के उपनंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों सीवदाकारी राज्यों का निवासी हो वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :
- §क § उसे उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके ब्यक्तिगत और आर्थिक संबंध धनिष्ठतर हमहत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है ;
- इस विद उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अधवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
- हैंगहें यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अधवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;
- §घ । यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अधवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।
- 3. जहां व्यष्टि से मिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण दोनों सीवदाकरी राज्यों का निवासी हो तो वह उस राज्य का ही निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है। यदि वह राज्य, जिसमें उसका प्रमावी प्रबंध-स्थान स्थित है, का निश्चय नहीं किया जा सकता हो तब सीवदाकरी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न को हल करेंगे।

बनुच्छेव - 5

स्यायी संस्थापन

- 1 इस अग्रिसमय के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अग्रिप्रेत है जिसके वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः और अंश्वतः किया जाता है ।
- 2 "स्थायी संस्थापन" पद में विश्वेषतया निम्नलिसित शामिल हैं :
 - **१क** । प्रबंध का कोई स्थान ;
 - १स१ कोई शासा ;
 - ≬ग≬ कोई कार्यालय ;
 - **१घ१ कोई कारसाना** ;
 - **§ड∙** है कोई कार्यशाला ;
 - **हेच** है कोई बिकी बाजार ; और
 - ३७३ कोई सान, तेल अथवा गैस का कोई कुऔ, कोई सदान अथवा प्रकृतिक संसाधनों के
 निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की सोज अथवा निष्कर्षण के लिए
 प्रयुक्त कोई प्रतिस्थापन अथवा संरचना भी शामिल है यदि इसका प्रयोग एक विस्त वर्ष में
 120 दिनों से अधिक किया जाए ।
- 3 कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण, संयोजन अथवा प्रतिष्ठापन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलापों को तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 9 महीने से अधिक की अवधि तक चलता रहता हो ।
- 4· इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपनंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्निलिसित को शामिल नहीं माना जाएगा :
 - ≬क≬ किसी उग्रम के माल अधवा फ्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अधवा डिलीवरी के प्रयोजनार्घ सुविधाओं का प्रयोग ;
 - §सं केक्त मण्डारण, प्रवर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना ;
 - शृग
 शृ किसी अन्य उद्यम तरा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्ध उद्यम के माल अध्यक्ष पण्य−
 वस्तुओं का स्टॉक रसना ;

- §ड § उद्यम के लिए केवल किसी अन्य प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप चलाने के
 प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रसना ;
- §च

 § उप-पेराग्राफ

 §क

 § से
 §ड

 § में उिल्लिसित कार्यकलापों के मात्र संयोजन के लिए कारोबार

 का कोई निश्चित स्थान रसना ब धर्ते कि इस संयोजन के पीरणामतः कारोबार के निश्चित

 स्थान के समग्र कार्यकलाप प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों।
- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपकंषों के होते हुए भी, जहां स्वतंत्र हैसियत वाले किसी फोन्ट से भिन्न कोई व्यक्ति, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता है, एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य की ओर से कार्य करता है तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा यदि वह उस व्यक्ति को :
 - ईक ई उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आमतीर से उस राज्य में प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप पैराग्राफ 4 में उत्तिसित कार्यकलापों तक ही पूर्णतया सीमित न हों ;
 - इस के पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं हो परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में आमतौर पर माल
 अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रसता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा
 पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो, तथा उद्यम की ओर से उस राज्य में
 किए गए अतिरिक्त कार्यक्लाणें ने माल अथवा पण्य-वस्तुओं की विकी में सहायता दी हो ।
- 6 किसी संविदाकारी राज्य का दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीश्वन प्लेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य अभिकर्ता के माध्यम से कारोबार करता है बश्चर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों।
- 7 इस अनुच्छेद के पूर्वक्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किस बीमा उद्यम का पुनर्बीमा के मामलों को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा यदि वह किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रिमियम क्सूल करेगा अथवा वहां स्थित जोबिमों का बीमा करेगा जिस पर पैराग्राफ 6 लाग होता है।
- 8 यह तथ्य कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में ह्वाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवाह कारोबार करती है तो केवल इसी बात से उन दोनों में से कोई भी कम्पनी एक दूसरे की स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

अध्याय 🏻

अय पर कर लगाना

अनुच्छेद - 6

अर्चल सम्पत्ति से आय

- 1 फ्रिक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पित्त किसमें कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. "अचल सम्पित्त" पद का अर्थ वही होगा जो उस सींवदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पित्त हियत है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे, अचल सम्पित्त के अवसाधन के रूप में सम्पित्त, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पित्त संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पित्त को भोगने के अधिकार और सिनज मंडार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अधवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अधवा नियत अदायगियों के अधिकार। जलयान, नौकाएं, मोटर गाडियां तथा वायुयान अचल सम्पित्त नहीं समझे जाएंगे।
- उ॰ पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पित्त के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।
- 4 . पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।
- 5. पूर्ववर्ती उपबंध चल सम्पत्ति से प्राप्त आय अथवा अचल सम्पत्ति के प्रयोग अथवा प्रयोग करने के अधिकार से संबंधित सेवाओं से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे, पर दोनों में से चाहे जो भी उस सीवदाकारी राज्य के कराधान कानून के अंतर्गत अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय में शामिल की जाए जिसमें वह सम्पत्ति स्थित है।

बनुष्ठेव - 7

कार्वकर से सहा

- 1. पक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लागों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के तरीके से कारोबार नहीं करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लागों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है परन्तु उसके केवल उतने अंब पर ही कर लगेगा जो हक उस स्थायी संस्थापन: हम दूसरे राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं की विक्रियों जो उस माल से मिलता-जुलता अथवा देसा ही हो जो उस स्थायी संस्थापन वरा बेचा जाता है अथवा हग उस दूसरे राज्य में की गई अन्य व्यावसायिक गतिविधियां जो उसी प्रकार की और वैसी ही हो जो उस स्थायी संस्थापन वरा की जाती है, के कारण प्राप्त हुए हों।
- 2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में, ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाम हुए माने जाएंगे, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या मिलती-जुलती पीरिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और मिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णत: स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।
- 3. किसी स्थायी संस्थापन के लामों का निर्धारण करने में, उन बचों की कटोती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्ध बर्च किए जाते हैं जिनमें इस प्रकार बर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, चाहे ये उस राज्य में किए गए हों, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अध्यवा अन्यत्र किए गए हों तथा ये उस सीवदाकारी राज्य के स्वदेशी कानूनों के अध्ययीन किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है।
- 4. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन वारा उद्यम के लिए मात्र माल अथवा पण्य-वस्तुओं की सरीद की गई है।
- 5 पूर्ववर्ती पेराग्राफों के प्रयोजनार्ध स्थाया संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लामों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पदित से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।
- 6 जहां लाभों में आय की ऐसी मर्दे शामिल हों जिन पर इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विचार किया गया हो, तब इस अनुच्छेद के उपकंघ उन अनुच्छेदों के उपकंघों को प्रभावित नहीं करेंगे ।

जहाजतनी और वयु परिवहन

- अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लागों पर केक्ल उसी सीवदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसका उद्यम निवासी हो ।
- 2. पुराग्राफ 1 के उपबंध किसी फूल, किसी संयुक्त कारोबार अधवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन प्लेंसी में भाग लेने से प्राप्त लागें पर भी लागू होंगे ।
- 3. जब कभी भी विभिन्न देशों की कम्पीनयां एक कंसीर्टियम के रूप में भिल-जुल कर वायु परिवहन कारोबार चलाने के लिए सहमत होती हैं तब इस पराग्राफ के उपबंध कंसीर्टियम के लामों के ऐसे भागों पर लागू होंगे जो किसी ऐसी कम्पनी द्वारा उस कंसीर्टियम में धारित सहभागिता के अनुसार होगा जो कि सीवदाकारी राज्य की निवासी है।
- 4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्ध, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के प्रचालन से प्रप्त लामों का अर्थ, जलयानों अधवा वायुयानों के मालिकों, पट्टाधारकों अधवा चार्टरों द्वरा किए गए यात्रियों, डाक, पशुधन अधवा माल के समुद्र अधवा विमान द्वरा परिवहन से प्राप्त लाम से है जिसमें निम्निलिखत से प्राप्त लाम भी शामिल हैं:-
 - १ं। ऐसे परिवहन हेतु दूसरे उद्यमों की ओर से टिकटों की बिकी ;
 - 🚦 i i 🖟 ऐसे परिवहनों में प्रयुक्त जलयानों अधवा विमानों को यदाकदा पट्टे पर देना ; और
- 5 फ संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन की दूसरे संविदाकारी राज्य में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालनों से सीधे प्राप्त होने वाली निधियों पर ब्याज को अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालनों से प्राप्त लागों के रूप में माना जाएगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे ब्याज का निवेशों की द्योतक निधियों पर ब्याज के रूप में उल्लेख नहीं किया जाएगा ।

अनुरहेद - 9

संबद उद्यम

- 1 जहां
 - १क१ एक सींवदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सींवदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध,
 नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
 - हैं सहै वही न्यक्ति, एक सीवदाकारी राज्य के किसी उद्यम के और दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी.
 उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं:

और दोनों में से किसी भी मामले में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक आधवा कितीय संबंधों में ऐसी शर्त रसी अधवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रसी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के न होने की स्थित में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त होता किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाओं में उन लाओं को साम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार साम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो सींवदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुस्केद - 10

तमांह

- 1. पक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अवा किए गए लामांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।
- 2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस सीवदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु :
 - इंक कि जहां लामांश पूर्तगाल की निवासी किसी कम्पनी द्वारा किसी ऐसे भारतीय निवासी को अदा
 किया जाता है जो उसका हितभागी स्वामी हो वहां इस तरह से लगाया गया पूर्तगाली कर
 निम्निलिसित से अधिक नहीं होगा :
 - 🕴 🕴 लामांशों की सकल तीश का 15 प्रतिशत 🗦 अधवा
 - हैं। । । लामांशों की सकल राशि का 10 प्रतिश्वत यदि लामार्थी स्वामी कोई ऐसी कम्पनी हो जो लामांशों को अदायगी से पूर्व लगातार दो वर्षों तक लामांश अदा करने वाली कम्पनी के कम से कम 25 प्रतिश्वत पूंजी स्टॉक है केपिटल सोशल है की प्रत्यक्षतः मालिक रहती हो।
 - इस का लिया का लिया कि जा कि का लिया कि का लिया के जा किया का लिया के जाता है जो उसका हितभागी स्वामी हो वहां इस तरह से लगाया गया भारतीय कर निम्निलियत से अधिक नहीं होगा :
 - हैं। हैं। लाभांशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत ; अध्यवा
 - हैं। । हो जो सकल राशि का 10 प्रतिश्वत यदि लाभार्थी स्वामी कोई ऐसी कम्पनी हो जो लाभांशों की अदायगी से पूर्व लगातार दो विस्तीय वर्षों तक लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के कम से कम 25 प्रतिश्वत पूंजी स्टॉक की प्रत्यक्षतः मालिक रहती हो।

इस पैराग्राफ का उन लामों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर कोई प्रमाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लामांशों का भुगतान किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लागांश" पद का अभिप्राय शेयरों, "जूइसान्स" शेयरों अथवा "जूइसान्स" अधिकारों, सनन शेयरों, संस्थापक शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण के दावे न हों, लागों में हिस्सेदारी से प्राप्त आय तथा ऐसी आय है जिस पर कराधान की वही अभिक्रिया लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है जिसकी विवरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है। इस पद में लागों में हिस्सेदारी इपसोसियाकाओं एम पार्टिसिपाकाओं के लिए किसी व्यवस्था के अंतर्गत उद्भूत लाग भी शांमल है।

- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपकंघ उस स्थित में लागू नहीं होंगे, यदि लक्षांशों का हितमागी स्वामी एक सीवदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से ज्यापार करता है, जिसकी लक्ष्मांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी नियत स्थान से स्वतंत्र वैयिक्षिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लक्ष्मांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रमावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुस्केद 7 या अनुस्केद 14, जैसी भी स्थित हो, के उपबंध लागू होंगे।
- 5. जहां कोई कम्पनी, जो एक सीवदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सीवदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थित में वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लामांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लामांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लामांशों की अदायगी की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रमावी रूप से संबंधित है और न ही उक्त कम्पनी के अधितरित लामों पर अवितरित लाम संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लामांश अथवा वितरित लाम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाम अथवा आय के रूप में हों।

न्याज

- 1• एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार, जिस राज्य में वह उद्भृत होता है, कर लगाया जाएगा, परन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस तरह से लगाया गया कर ब्याज की सकल राश के दस प्रतिश्वत से अधिक नहीं होगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी परस्पर सहमित द्वारा इस सीमा-बदता को लागू करने की विधि तय करेंगे ।
- उ॰ पैराग्राफ 2 के उपकंधों के होते हुए भी एक सीवदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी :
 - किं यदि ऐसे ब्याज का कर्जदार वह राज्य, उसका राजनीतिक अथवा प्रशासनिक उप-प्रमाग अथवा कोई स्थानीय प्रधिकरण हो ; अथवा

राज्यों की सरकारों के बीच किसी करार के अंतर्गत उनके द्वारा दिए गए किल-पोषण के संबंध में दिया जाता है।

- 4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" पद से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं हो और चाहे उन्हें कर्जदार के लामों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभृतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण पत्रों से संबंधित प्रिमियम और पुरस्कार सम्मिलित हैं । देर से की जाने वाली अदायगी के लिए अर्ध-दण्ड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज नहीं समझा जाएगा ।
- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितमागी स्वामी जो एक सीवदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे सीवदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में अनुहाकेद 7 अथवा अनुहाकेद 14 के उपलंध, जैसी भी रिश्नित हो, लागू होंगे ।
- 6 व्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा जब व्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई निवासी हो। तथापि, जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक नियत स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है और ऐसा व्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का व्याज उस संविदाकारी राज्य में ही उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान स्थित है।
- 7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की एकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज अदा किया गया है, उस एकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमित हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित एकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक सीवदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

रायित्यां और सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस

- 1. किसी सीवदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायहिटयों और सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. तथापि, इस प्रकार की रायिन्टियों और सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस पर उस सीवदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा किन्तु यदि रायिन्टियों और सम्मिलित सेवाओं का हितभागी स्वामी उस दूसरे राज्य का कोई निवासी हो तो इस प्रकार से लगाया गया कर सकल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
- 3. इस अनुद्धेद में यथा-प्रयुक्त "रायित्टयां" पद से रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के संबंध में सिनेमा फिल्मों और फिल्मों अथवा टेपें या पुनिनर्माण के अन्य माध्यमों, किसी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माँडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रकिया सिहत किसी साहित्यक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों के काँपराइट के प्रयोग हेतु या प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव के संबंध में किसी सूचना के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु प्रतिपल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायिगयां अभिप्रेत हैं।
- 4 इस अनुच्छेद में प्रयोजनार्थ "सिम्मिलित सेवाओं" के लिए फीस, इस अभिसमय के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित अदायगियों को छोड़कर, की गई तकनीकी अधवा परामर्शी हैतकनीकी अधवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं के उपबंधों के द्वारा सिहत सेवाओं के प्रतिफल के रूप में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गई अदायगियां अभिप्रेत हैं यदि ऐसी सेवाएं :
 - §क रें से अधिकार, सम्पत्ति या सूचना के प्रयोग अथवा उपयोग के लिए अनुमंगी और सहायक हैं जिनके लिए पैराग्राफ 3 में वर्णित भुगतान प्राप्त किया गया है ; अथवा
 - ्रेस } तकनीकी ज्ञान, अनुभव, दक्षता, जानकारी अधवा प्रक्रियाओं को उपलब्ध कराना अधवा जिसमें पेसी तकनीकी योजना या तकनीकी डिजाइन का विकास और अन्तरण सम्मिलित हो जिससे कि सेवाएं अर्जित करने वाला व्यक्ति उनमें निहित प्रैद्योगिकी का प्रयोग कर सके ।

- 5. पैराग्राफ 4 के होते हुए भी "सम्मिलित सेवाओं के लिए फीस" में निम्निलिसित भुगतान शामिल नहीं होंगे :
 - कि
 कि
 - १स१ ऐसी सेवाओं के लिए जो अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन के संबंध में प्रयुक्त जलयानों, वायुयानों आधानों अथवा अन्य उफकरणों के किराए के अनुमंगी और सहायक हैं;
 - ∮ग है शिक्षक संस्थाओं में अधवा उनके वारा शिक्षण कार्य के लिए ;
 - १घ१ भुगतान करने वाले व्यप्टि अधवा व्यप्टियों के वैर्याक्तक प्रयोग हेतु सेवाओं के लिए ;
 - §ड ¥ भुगतान करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी के लिए अथवा व्यावसायिक सेवाओं हेतु किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की फर्म ∮िकसी कम्पनी को छोड़कर है के लिए जैसा कि अनुस्छेद 14 में परिभाषित किया गया है ;
 - §च

 अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2

 §च

 मैं उल्लिखित प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उपयोग के
 लिए प्रयुक्त किसी प्रस्थापन अधवा संरचना के संबंध मैं की गई सेवाओं के लिए

 ;
 - ўछ∮ अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 में उल्लिसित सेवाओं के लिए ।
- 6. पेराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे यदि रायित्यों अथवा सिम्मिलत सेवाओं के लिए फीस का हितमागी स्वामी, जो एक राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायित्यों अथवा सिम्मिलत सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयवितक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा संपत्ति के संबंध में रायित्यां अथवा सिम्मिलत सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रमावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में यथास्थित अनुद्धेद 7 अथवा 14 के उपबंध लागू होंगे।

- 7. एक सीवदाकारी राज्य में रायित्यां अधवा सिमालित सेवाओं के लिए पीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायित्यों अधवा सिमालित सेवाओं के लिए पीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सीवदाकारी राज्य का निवासी हो अधवा नहीं, एक सीवदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अधवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायित्यां अधवा सिमालित सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायियत्यां अधवा सिमालित सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायित्यों अधवा सिमालित सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान स्थित है।
- 8. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण और जिस उपयोग, अधिकार अथवा सूचना के लिए रायिल्ट्यों अथवा समिमलित सेवाओं के लिए पीस अदा की जाती है उसको ध्यान में रखते हुए यदि अदा की गई रकम उस रक्ष्म से बढ़ जाती है लिएनी रक्षम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा अवस्थाने स्वामी के बीच अदावत हुई होती वहां इस अनुष्ठिद के उपबंध में केवल अंतिम वर्णित रक्षम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदा की गई रक्षम के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सीवदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13 पंजीगत अमलाम

1. अनुष्ठिव 6 में उल्लिखित और दूसरे सीवदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण से एक सीवदाकारी राज्य के किसी निकासी द्वरा प्राप्त अधालाओं पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अधालाओं पर जो एक सीवदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे सीवदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित किसी ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अधिलाओं पर जो संपत्ति एक सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे सीवदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन १ अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ आयवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अधिलाम भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

- एक सीवदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम को अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अधवा वायुयानों अधवा इस प्रकार के जलयानों अधवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपीत्त के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।
- किसी ऐसी कम्पनी के पंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलामों पर, जिसकी संपत्ति किसी संविदाकारी राज्य में प्रधानतया प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अचल संपत्ति के रूप में हो, दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । किसी संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी के उत्पर उहिलांसित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।
- पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 में उहिलांबित संपहित से भिन्न किसी संपहित के अंतरण से प्रप्त अभिलाभ उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होंगे जिसका अंतरणकर्ता निवासी हो ।

अनुस्केद - 14 स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

- एक सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय निम्नलिबित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें ऐसी आय पर दूसरे सीवदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में ही कराधेय होगी :
 - यदि उसको अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अधवा
 - यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित कितीय वर्ष में प्रातंभ होने 8 स 8 वाली अधवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अविध में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हो तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो दूसरे राज्य में उसके कार्यकलापें से प्राप्त होती है ।
 - "व्यावसायिक सेवाएं" में विशेषतया स्क्तंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मंक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा काय-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

- 1. अनुष्ठिद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन का प्रयोग दूसरे सीवदाकारी राज्य में न किया गया हो । यदि ऐसे नियोजन का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा परिश्रमिक जो वहां से प्राप्त होगा उस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :
 - शक् प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरंभ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह
 महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के
 लिए दूसरे राज्य में उपिस्थित रहता है ; तथा
 - §सं हैं परिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और
 - मिश्रिमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वरा वहन नहीं किया जाता है,
 जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो ।
- उ॰ इस अनुच्छेद के पूर्वकर्ती उपबंधों के होते हुए भी अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अधवा क्षयुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा जिसमें जलयान अधवा वायुयान संचालन करने वाला उद्यम निवासी है।

अनुच्छेद - 16 निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अदायिगयां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल अथवा पर्यवेक्षकीय बोर्ड पूर्तगाल में कांसल्हों फिस्कल अथवा अन्य इसी तरह के किसी घटक के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

मनोरंजनकर्ता और सिलाइी

- 1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा मनोरंजनकर्ता जैसे कोई धियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी सिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापें से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. जहां तक किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी बिलाइी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलाणों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या बिलाइी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपकंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा बिलाइी के कार्यकलाप किए जाते हैं 3. तथापि ऐसी आय पर पैराग्राफ 1 में उल्लिबित राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा जब ऐसी कार्यकलाप दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा उस राज्य की यात्रा के दौरान निष्णांदित किए जाते हैं और जब ऐसी यात्रा दूसरे राज्य, उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णत: अथवा पर्याप्त रूप से किला-पोषित की जाती है।

अनुच्छेद - 18 पेश्वन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अतीत में नियोजन के प्रतिफल में किसी सींवदाकारी राज्य के किसी निवासी को दी गई पेंशन या अन्य इसी तरह के परिश्रमिक पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 19 सरकारी सेवा

कि किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण दारा किसी व्यिष्ट को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रमाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई उसकी सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से मिन्न वेतनों, मजदूरियों और इसी तरह के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ।

- ईस ई तथापि, ऐसे वेतर्नों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे सीवदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हों और वह व्यक्टि उस राज्य का एक निवासी हो, जो :
 - ≸ i है उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अधवा
 - § i i § सेवाएं प्रस्तुत करने के प्रयोजन मात्र से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।
- 2. {क } किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वरा सृजित निधियों द्वरा या उसमें से उस राज्य या उसके उप-प्रमाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यप्टि को अदा की गई पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा ;
- 3. अनुस्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अधवा उसके राजनैतिक अधवा प्रशासनिक उप-प्रभाग अधवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारबार के सिलसिले में की गई सेवाओं से संबंधित वेतनों, मजदूरियों तथा इसी प्रकार के अन्य परिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे ।

प्रेफेसर, अध्यापक और शोध-अध्येता

- 1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक जो दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी अन्य अनुमीदित संस्था में शिक्षण अथवा शोध-कार्य अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे सीवदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व उक्त सीवदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था उसके उस दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अनिधक अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध-कार्य के लिए उसको प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।
- 2 · यह अनुद्धेद ऐसे शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा यदि ऐसा शोध-कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लक्ष्म के लिए किया गया हो ।
- 3· इस अनुस्छेद तथा अनुस्छेद 21 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह उक्त कित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी है जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा कित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व दौरा करता है ।
- 4· पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित संस्था" से अभिप्राय ऐसी संस्था से है जिसे संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो ।

अनुरहेद - 21

विद्यार्थी और प्रशिक्ष

किसी ऐसे विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष अथवा प्रशिक्षार्थी को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरंत पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए प्राप्त अदायिगियों पर उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा बश्रुर्त ऐसी अदायिगियों :

- §क§ उस राज्य के बाहर के स्रोतों से प्राप्त होती हैं ;
- इस इसके उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रथम आगमन के दिन से दो वर्षों की अनिधक अविध के दौरान उसे 3000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष की अनिधक रकम के बराबर की राशि दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त परिश्रमिक है।

अनुच्छेद - 22

- एक सींवदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्दे. नहां कहीं भी वे उद्भूत होती हों और जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुद्धेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस सींवदाकारी राज्य में ही कराधेय होंगी।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंध अनुस्केद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-पीरमापित अचल संपत्ति से प्राप्त आय से मिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक सींवदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे सींवदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयिक्तक सेवाएं निष्पदित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा संपत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रमावी रूप से संबद है। ऐसे मामले में अनुस्केद 7 अथवा अनुस्केद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।
- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी यदि किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतरी स्रोतों से घुड़दोड़ों, कार्डगेमों और अन्य गेमों या किसी भी प्रकार या किस्म के किसी भी प्रकार की जुएबाजी या शर्तबाजी सहित लाटरियों, वर्ग-पहेलियों तथा दौड़ों हैरेसोंह के रूप में आय प्रस्त होती है तो ऐसी आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अध्याय 🌃

दोहरे करायान के अपकरन की पदित

अनुरुष्ठेव - 23

दोहरे करायान का अपकरन

- 1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रकृत कानून संबंधित राज्यों में आय के कराधान मामलों को अधिशासित करते रहेंगे, सिवाय उन मामलों के जहां इस अभिसमय में उनके विपरात प्रक्यान किए जाएं।
- 2. पूर्तिगाल के मामले में दोहरे कराधान का अपकरण निम्न प्रकार से किया जाएगा :जहां पूर्तिगाल का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के
 अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है वहां पर पूर्तिगाल उस निवासी की उस आय पर भारत में
 अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा । तथापि
 ऐसी कटौती उस आयकर के हिस्से से अधिक गई होगी जो कटौती किए जाने के पूर्व संगागत की
 जाती है और जो उस आय से उद्भूत होती है जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है ।
- अभारत के मामले में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्न फ्रकार से किया जाएगा :- जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार पुर्तगाल में कर लगाया जा सकता है वहां पर भारत उस निवासी की उस आय पर पुर्तगाल में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर की कटौती की अनुमित देगा चाहे यह प्रत्यक्षत: दी जाए अधवा स्रोत पर कटौती द्वारा । तथापि, ऐसी राशि उस आयकर के हिस्से से अधिक नहीं होगी जो कटौती किए जाने के पूर्व संगणित की जाती है और जो उस आय से उद्भूत होती है जिस पर पुर्तगाल में कर लगाया जा सकता है ।
- 4. जहां इस अधिसमय के किसी भी उपबंध के अनुसार किसी सींवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त है फिर भी ऐसा राज्य ऐसे निवासी की बाकी आय पर कर की रकम की गणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रसेगा ।
- 5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में उत्तिसित किसी संविदाकारी राज्य में अदा किए गए कर में अमिलाम, ब्याज, रायित्यां और सम्मिलित सेवाओं पर कर और कारोबारी लाम सम्मिलित हुए माने जाएंगे जो वास्तिक निवेश अथवा आर्थिक विकास के प्रोत्साहन हेतु सींवदाकारी राज्यों के कर कटौती अथवा छूट से संबंधित विधिक उपबंधों के न होने की स्थित में देय होते जैसा कि इस अभिसमय में निधारित किया गया है । इस पैराग्राफ के उपबंध प्रथम सात वर्षों के लिए लागू होंगे जिसके दौरान यह अभिसमय लागू रहेगा । इस अविध को सक्षम प्राधिकारियों की परस्पर सहमित से बढ़ाया जा सकता है ।

अध्याय 🎵

विशेष उपनंध

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

- 1. एक सीवदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे सीवदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान को अधवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में विशेषकर निवास के संबंध में लगाए जाने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से मिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक मारपूर्ण हो । यह उपबंध अनुस्केद 1 के उपबंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों सीवदाकारी राज्यों में से किसी एक अधवा दोनों के निवासी नहीं हैं ।
- 2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक समान कार्यकलायें को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकृत हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी संविदाकारी राज्य को इस बात के लिए बाध्य करना है कि वह दूसरे राज्य के निवासियों के कराधान के प्रयोजनार्थ उनकी नागरिक हैसियत अथवा परिवासिक उत्तरदायित्वों के कारण कोई ऐसी वैयक्तिक छूट, राहत और कटौती प्रदान करे जो वह अपने स्वयं के नागरिकों को प्रदान करता है।
- 3. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अनुष्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुष्छेद 11 के पैराग्राफ 6 अथवा अनुष्छेद 12 के पैराग्राफ 4 के उपबंध लागू होते हैं, वहां एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त ब्याज, रायिन्ट्यां तथा तकनीकी फीस और अन्य अदा किए गए संविदारण ऐसे उद्यम के कर योग्य लागों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वैसी ही शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे मानो कि उन्हें प्रथमोहिलांसित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया था।
- 4. एक सेंविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे सेंविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निर्वासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोलितिस्त राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो उस प्रथमोलितिस्त राज्य के अन्य समस्य उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।
- अनुस्केद 2 के उपकंशों के होते हुए भी इस सनुस्केद के उपलंश हर प्रकार के करों पर लागू होंगे।

परस्परिक करार प्रक्रिया

- 1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाझ्यों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो कि इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बाक्जूद भी उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि यह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके पीरणामस्वरूप ऐसा कराधान किया गया है जो इस अधिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।
- 2 · यदि सक्षम प्रिधिकारी को आपित उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक इल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस अधिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमित दारा उस मामले को इल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी करार को कार्यीन्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा निधारित क्यों न हो ।
- 3 इस अभिसमय की व्याख्या करने में अधवा इसे लागू करने में कोई किठनाईयां अधवा शंकाएं उत्पन्न होने पर सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमित से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है ।
- 4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्ध सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने स्वयं के अधवा अपने प्रतिनिधयों के संयुक्त आयोग के माध्यम सीहत एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं।

सूचना का आदान-प्रदान

- 1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना ईअधिप्रमाणित दस्ताकेनों सिंहत है का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपकंध को अधवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपकंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकृत नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान अनुस्केद 1 बरा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य बरा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अधवा प्रधिकारियों ईजिसमें न्यायालय और प्रशासीनक निकाय भी शामिल हैं को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अधवा उनकी वसूली करने, उनके बारे में प्रवर्तन अधवा अभियोजन अधवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने में शामिल हों, जो अभिसमय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति अधवा प्राधिकारि सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे । वे सूचना को सार्वज्ञक न्यायालय की कार्यवाहयों में अधवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सर्केंगे ।
- 2. किसी भी हालत में पैराग्राफ 1 के उपकंशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी सीवराकारी राज्य पर निम्निलिसित बाध्यता लागू करना है:

 - ≬सं≬ ऐसी सूचना को मुहैया कराना जो उस अधवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अधवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है ;

वसूली में सहायता

- 1 सीवदाकारी राज्य अपने-अपने उपबंधों और अपने कियानों अथवा विनियमों के अनुसार इस अधिसमय के अंतर्गत आने वाले करों की वसूली करने में परस्पर सहायता तथा समर्थन प्रदान करने के लिए करार करते हैं जब ऐसी वसूली के लिए सहायता मांगने वाले सीवदाकारी राज्यों के कानूनों और विनियमों के अधीन ये धनराश्चियां निश्चित रूप से देय हो जाती हैं।
- 2 संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी यदि करों की वसूली के लिए सहायता करना व्यवहार्य समझेंगे तो वे इस अनुद्धेद को लागू करने के तरीके पर निर्णय करने के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 28

राजनियक मिश्रन और कैंसुती पदों के सदस्य

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनियक मिश्ननों और कौंसुली पदों के सदस्यों के कित्तीय विशेषधिकारों पर कोई प्रमाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 29

प्रकृत होना

- यह अभिसमय प्रत्येक सीवदाकारी राज्य में इस अभिसमय को लागू करने हेतु आवश्यक आंतरिक विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करने का उल्लेख करने वाली राजनियक टिप्पणियों के आदान-प्रदान करने की तारीख के बाद तीसर्वे दिन को लागू होगा ।
- 2 यह अभिसमय निम्न फ्रकार से लागू होगा :

१क१ पर्तगाल में :

हैं। हैं। स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, जिस वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अनुवर्ती अगले वर्ष की जनवरी माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद उनकी उत्पत्ति का तथ्य पेश होगा ;

हां। जिस वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अनुवर्ती अगले वर्ष की जनवरी माह के पहले दिन को अधवा उसके बाद शुरू होने वाले कित्तीय वर्ष में उद्भूत आय पर अन्य करों के संबंध में ।

१स१ भारत में :

जिस कैलेंडर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके अनुक्ती अगले वर्ष की और माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कितीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ।

अनुस्केद - 30

समापन

यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा किन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य अधिसूचना देने के बाद के पांचवे वर्ष से किसी भी कैलेण्डर वर्ष के जून माह के तीसवें दिन या उसके पहले राजनियक माध्यमों से इस अभिसमय के रद्द कर सकता है । ऐसी परिस्थित में, यह अभिसमय निम्न प्रकार से निष्ण्रमान्नी हो जाएगा :

१क । पूर्तगाल में ः

- हैं। इसेत पर रोके गए करों के संबंध में जिस तारीस को उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट समापन अविध समाप्त होती है उसके अनुवर्ती अगले वर्ष की जनवरी माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद प्रमावी उनकी उत्पत्ति पर तथ्य पेश होगा ;
- § ii § जिस तारीख को उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट समापन अविध समाप्त होती है उसके अनुवर्ती अगले वर्ष की जनवरी माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय पर अन्य करों के संबंध में ;

∦स∦ भारत में :

जिस तारीस को उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट समापन अविध समाप्त होती है उसके अनुवर्ती अगले वर्ष के औ्रेल माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कित्तीय वर्ष में उद्भुत आय के संबंध में । जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

लिजिलन में वर्ष एक हजार नो सौ अट्ठानबे के उनाश्चिम माह के 11 के दिन हिन्दी, पूर्तगाली और अंग्रेजी माषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन किया गया और इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं, संदेह की स्थित में अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से पुर्तगाल गणराज्य क सरकार की ओर से

१ पी • आर • क्यारमंगलम

फ्तान्डो टेक्सेरा सान्टोस

[अधिसूचना सं. 11401/फा. सं. 503/5/91-एफ टी डी] विजय माथुर, संयुक्त सचिव

प्रेतोकोल

भाय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और पूर्तगाली गणराज्य के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे :-

पडी अनुच्छेद - 3

पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्ध, अभिसमय की प्रयोक्त के समय के संदर्भ में अर्थ वह समय है जब आय, जो कि इस अभिसमय की विषय वस्तु है, प्राप्त होती है।

पड़ी अनुस्केद - 3 और 23

अनुस्छेद 3 के पैराग्राफ 1 १४१ और अनुस्छेद 23 के प्रयोजनार्थ, "कर" अभिव्यक्ति में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो करों, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है, के संबंध में किसी चूक अथवा त्रुटि के संबंध में देय है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थ-दण्ड को दर्शाती है।

पही जनुच्छेद - 5

पराग्राफ 2 के प्रयोजनार्ध, अन्यों के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान करने वाले किया व्यक्ति के संबद्ध में भांडागार को एक स्थायी संस्थापन के रूप में माना जाएगा ।

पही अनुच्छेद - 6

पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, यह सहमात हुई है कि जिस सीवदाकारी राज्य के ध्यवित की सम्पत्ति से आय प्रप्त होती है और उसका निवासी है वह राज्य ऐसी आय पर कर लगाने का भी पात्र है।

पडी अनुच्छेद - 7

पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्ग, यह सहमित हुई कि उसमें उत्तिसित देशी कर कानूनों के उपबंध, भारत के मामले में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44ग से संबंधित हैं। आगे यह भी सहमित हुई है कि किसी भी दशा में धारा 44ग में उत्तिश्वित शर्ने और सीमांप इस अभिसमय पर इस्ताक्षर करने की तारीस को लागू उन शर्नों और सीमाओं ये कम अनुकृत नहीं होंगी।

पडी अनुच्छेद - 13

पराग्राफ 1 और 4 के प्रयोजनार्ध, यह सहमित हुई है कि जिस संविदाकारी राज्य के व्यक्ति को पूंजीगत अभिलाभ होता है और उसका निवासी है वह राज्य ऐसे पूंजीगत अभिलाभ पर कर लगाने का भी पत्र है।

पडी अनुच्छेद - 23

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 5 में प्रयुक्त शब्द "आर्थिक क्लिस" का तात्पर्य औद्योगिक क्लिस अथवा आधारमूत बंचे संबंधी सुक्थिओं का क्लिस होगा ।

पडी अनुच्छेद - 24

अनुस्केद 24 के उपबंध सीवदाकारी राज्यों, जो कम पूंजीकरण की समस्याओं से निपट रहे हैं, के कर कानून के किसी उपबंध के प्रयोग में बाधा नहीं डालते हैं।

- हिल्ल अनुकार कि के उपनंशों को इस अर्थ में लिया जाएगा कि जहां तक किए गए संवित्तरणों की कटौती किए जाने का संबंध है, प्रत्येक संविदाकारी राज्य प्रमाण के दायित्व के संबंध में अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं का प्रकेश हर सकता है।
- 3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों का अर्थ ऐसे किसी स्थायी संस्थापन, जो प्रथमोल्लिसित राज्य में दूसरे स्विदाल्लिसी उपय की किसी करपनी का है, के लागों पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना नहीं लगाया जाएगा, जो प्रथमोल्लिसित सीवदाकारी राज्य की इसी प्रकार की किसी करपनी पर लगाए गए कर की तुलना में अधिक हो, वश्वर्त कि दोनों दरों के बीच अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक न हो ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

लिज्ञ बन में वर्ष एक हजार नी सी अट्ठानबे के आदिएन माह के गर्जे दिन हिन्दी, पूर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में निष्फन किया गया और इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रामाभिक हैं। संदेह की स्थित में अंग्रेजी पाठ को प्रमानी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

१पी आर कूमारमंगलम

पुर्तगाल गणराज्य की सरकार की ओर से

§फ्नान्डो टेक्सेरा सान्टोस§

[अधिसूचना सं. 11401/फा. सं. 503/5/91-एफ टी डी] विजय माथ्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2000

(Income-Tax)

G. S. R. 542(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force, on the 30th April, 2000, thirty days after the date of exchange of diplomatic notes indicating the completion of internal legal procedures necessary in each Contracting State for the entry into force of this Convention in accordance with Article 29 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE
PORTUGUESE REPUBLIC
FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Portuguese Republic, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

HAVE AGREED as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

- 1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
- 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the amounts of wages or salaries paid by enterprises.
- 3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
 - a) In the case of the Portuguese Republic:
 - (i) Personal income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares IRS);
 - (ii) Corporate Income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas IRC);
 - (III) Local surtax on corporate income tax (Derrama); (hereinafter referred to as "Portuguese tax");

b) In the case of the Republic of India:

The income tax including any surcharge thereon; (hereinafter referred to as "Indian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

- 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "Portugal" means the territory of the Portuguese Republic situated in the European Continent, the archipelagoes of Azores and Madeira, the respective territorial sea and any other zone in which, in accordance with the laws of Portugal and international law, the Portuguese Republic has its jurisdiction or sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea bed and subsoil, and of the superjacent waters;
 - (b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance

with International law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea, 1982;

- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Portugal or India as the context requires;
- (d) the term "tax" means Portuguese tax or Indian tax, as the context requires;
- (e) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in a Contracting State;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (i) the term "competent authority" means:
 - (i) in Portugal: the Minister of Finance or the Director General of Taxation (Director-Geral dos Impostos) or their authorised representative;
 - (ii) in India: the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;

- (j) the term "national" means:
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State:
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.
- (k) The term "fiscal year" means:
 - (i) in the case of Portugal, the civil year as laid down in the IRS Code or the taxation period as defined in the IRC Code;
 - (ii) in the case of India, "previous year" as defined under section 3 of the Income Tax Act, 1961.
- 2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which is has an habitual abode;
 - c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
 - d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated can not be determined; then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

PERMANENT ESTABLISHMENT

- 1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
- 2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office:
 - d) a factory;
 - e) a workshop;
 - f) a sales outlet; and
 - g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources, including an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources only if so used for a period of more than 120 days in a fiscal year.
- 3. A building site, construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if it lasts more than nine months.
- **4.** Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

- the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
- 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if
 - a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited wholly to the activities described in paragraph 4;
 - b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise and some additional activities conducted in that State on behalf of the enterprise have contributed to the sale of the goods or merchandise.

- 6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
- 7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies.
- 8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply,

usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats, motor vehicles and aircraft shall not be regarded as immovable property.

- **3.** The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
- 5. The foregoing provisions shall also apply to income from movable property, or income derived from services connected with the use or the right to use the immovable property, either of which, under the taxation law of the Contracting State in which the property is situated, is assimilated to income from immovable property.

Article 7

BUSINESS PROFITS

- 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.
- 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting

State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

- 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, subject to the provisions of the domestic laws of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
- 4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

- 1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

- 3. Whenever companies from different countries have agreed to carry on an air transportation business together in the form of a consortium, the provisions of paragraph 1 shall apply to such part of the profits of the consortium as corresponds to the participation held in that consortium by a company that is a resident of a Contracting State.
- 4. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived from the transportation by sea or air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owner or lessees or charterers of the ships or aircraft, including profits from:
 - (i) the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises;
 - (ii) the incidental lease of ships or aircraft used in such transportation; and
 - (iii) the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) by the enterprise engaged in international traffic in connection with such transportation.
- 5. Interest on funds generated by the operation of ships or aircraft and arising directly to a permanent establishment of an enterprise of one Contracting State in the other Contracting State, shall be regarded as profits derived from the operation of ships or aircraft in international traffic. It is clarified that such interest shall not refer to interest on funds representing investments.

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

DIVIDENDS

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but:
 - a) Where the dividends are paid by a company which is a resident of Portugal to a resident of India who is the beneficial owner thereof, the Portuguese tax so charged shall not exceed:
 - (i) 15 per cent of the gross amount of the dividends; or
 - (ii) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that, for an uninterrupted period of two years prior to the payment of the dividend, owns directly at least 25 per cent of the capital stock (capital social) of the company paying the dividends.
 - b) Where the dividends are paid by a company which is a resident of India to a resident of Portugal who is the beneficial owner thereof, the Indian tax so charged shall not exceed:
 - (i) 15 per cent of the gross amount of the dividends; or
 - (ii) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that, for an uninterrupted period of two fiscal years prior to the payment of the dividend, owns directly at least 25 per cent of the capital stock of the company paying the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term also includes profits attributed under an arrangement for participation in profits (associação em participação).
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

INTEREST

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempted from tax in that State:
 - a) if the debtor of such interest is that State, a political or administrative subdivision or a local authority thereof; or
 - b) if interest is paid to the other Contracting State, a political or administrative subdivision or a local authority thereof or an institution (including a financial institution) in connection with any financing granted by them under an agreement between the Governments of the Contracting States.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from debtclaims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a

permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision thereof, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR INCLUDED SERVICES

- 1. Royalties and fees for included services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties and fees for included services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties and fees for included services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall

not exceed 10 per cent of the gross amount. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

- 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes or any other means of reproduction for use in connection with radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial, or scientific experience.
- 4. For the purposes of this Article "fees for included services" means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of this Convention, to any person in consideration of the rendering of any technical or consultancy services (including through the provisions of services of technical or other personnel) if such services:
 - a) are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, property or information for which a payment described in paragraph 3 is received, or
 - b) make available technical knowledge, experience, skill, knowhow or processes or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design which enables the person acquiring the services to apply the technology contained therein.
- 5. Notwithstanding paragraph 4, "fees for included services" does not include payments:
 - a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property:

- b) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international craft;
- c) for teaching in or by educational institutions;
- d) for services for the personal use of the individual or individuals making the payment;
- to an employee of the person making the payments or to any individual or firm of individuals (other than a company) for professional services as defined in Article 14;
- f) for services rendered in connection with an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources referred to in paragraph 2 (f) of Article 5;
- **g)** for services referred to in paragraph 3 of Article 5.
- 6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties and fees for included services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties and fees for included services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties and fees for included services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 7. Royalties and fees for included services shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political or administrative subdivision thereof, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties and fees for included services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties and fees for included services was incurred, and such royalties and fees for included services are borne by that

permanent establishment or fixed base, then such royalties and fees for included services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties and fees for included services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident

- 4. Gains from the alienation of shares in the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may also be taxed in that State. Gains from the alienation of shares other than those mentioned above in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.
- 5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
 - if his stay in the other State is for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in the other State may be taxed in that other State.
- 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or supervisory board (in Portugal, conselho fiscal) or of another similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

- 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
- 3. However such income shall not be taxed in the State mentioned in paragraph 1 if the said activities are exercised during a visit to that State by a resident of the other Contracting State and when such visit is wholly or substantially financed by that other State, a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

- Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State;
 - b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - i) is a national of that State; or
 - ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State;

- b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
- 3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

- 1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.
- 2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
- 3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.
- **4.** For the purposes of paragraph 1 "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned State.

STUDENTS AND TRAINEES

Payments which a student, a business apprentice or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives, for the purpose of his maintenance, education or training, shall not be taxed in that State, provided that such payments:

- a) arise from sources outside that State:
- are remuneration from employment in that other State in an amount not exceeding US\$ 3000 per annum during a period not exceeding two years from the day of his first arrival in that other Contracting State, provided that such employment is directly related to his studies

Article 22

OTHER INCOME

- 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such

permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

- 1. The laws in force in either of the Contracting State will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.
- 2. In the case of Portugal double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of Portugal derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Portugal shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in India.

3. In the case of India double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Portugal,

India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Portugal whether directly or by deduction at source. Such amount shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Portugal.

- 4. Where in accordance with any provisions of this Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.
- 5. The tax paid in a Contracting State mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be deemed to include the tax on dividends, interest, royalties and fees for included services and business profits which would have been payable as laid down in this Convention but for the legal provisions concerning tax reduction or exemption of the Contracting States for the encouragement of genuine investment or economic development. The provisions of this paragraph shall apply for the first seven years during which this Convention is applicable. This period may be extended by mutual agreement between the competent authorities.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1,

also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
- 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 4 of Article 12, apply, interest, royalties, technical fees and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
- 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
- 5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies

provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information, including authenticated copies of the documents, as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any

information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

- 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to supply information which is not obtainable under the laws of in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

COLLECTION ASSISTANCE

1. The Contracting States agree to provide mutual assistance and support for recovering, in accordance to the respective provisions and rules of their legislations or regulations, the taxes covered by this Convention, when these amounts are definitely due under the laws and regulations of the Contracting State seeking the assistance for such recovery.

2. The competent authorities of the Contracting States shall consult each other to decide the mode of application of this Article in case they consider the rendering of assistance for collection of taxes feasible.

Article 28

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions and consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

- 1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date on which diplomatic notes indicating the completion of internal legal procedures necessary in each Contracting State for the entry into force of this Convention have been exchanged.
- 2. This Convention shall apply:
 - a) in Portugal:
 - (i) in respect of taxes withheld at source, the fact giving rise to them appearing on or after the first day of January in the year next following the year in which this Convention enters into force;
 - (ii) in respect of other taxes as to income arising in the fiscal year beginning on or after the first day of January in the year next following the year in which this Convention enters into force;

b) in India:

in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which this Convention enters into force.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year from the fifth year following that in which the notifications have been given, terminate the Convention through diplomatic channels. In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) in Portugal:

- (i) in respect of taxes withheld at source, the fact giving rise to them appearing on or after the first day of January of the year next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires;
- (ii) in respect of other taxes, as to income arising in the fiscal year beginning on or after the first day of January next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires;

b) in India:

in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the date on which the period specified in the said notice of termination expires. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, auly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate, at Lisban this September II day of 1998 in Hindi, Portuguese and English languages, each text being equally authentic, the English text prevailing in case of doubt.

For the Government of the Republic of India

For the Government of the Portuguese Republic

(P.R.KUMARMANGALAM)

(FENANDO TEXEIRA SANTOS)

[Notification No. 11401/F.No. 503/5/91-FTD] VIJAY MATHUR, Jt. Secy.

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention between the Republic of India and the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following which shall be an integral part of the Convention.

Ad Article 3

For the purposes of paragraph 3, the reference to the time of application of the Convention shall mean the time when the income which is the subject matter of this Convention arises.

Ad Article 3 and 23

For the purposes of paragraph 1(d), of Article 3 and Article 23 the expression "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

Ad Article 5

For the purposes of paragraph 2, a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others will be considered as constituting a permanent establishment.

Ad Article 6

For the purposes of paragraph 1, it is agreed that the Contracting State of which the person deriving income from property is a resident is also entitled to tax such income.

Ad Article 7

For the purposes of paragraph 3, it is agreed that the provisions of the domestic tax laws referred to therein relate, in the case of India, to section 440 of the Indian Income Tax Act, 1961. It is further agreed that in no event the conditions and limits referred to in section 440 shall not be less favourable than those in force on the date of the signing of this Convention.

Ad Article 13

For the purposes of paragraphs 1 and 4, it is agreed that the Contracting State of which the person deriving the capital gains is a resident is also entitled to tax such capital gains.

Ad Article 23

It is understood that the term "economic development" used in paragraph 5 of Article 23 would mean industrial development or development of infrastructural facilities.

Ad Article 24

- 1. The provisions of Article 24 do not preclude the application of any provision of the tax law of the Contracting States dealing with thin capitalisation problems.
- 2. The provisions of Article 24 shall be construed in the sense that insofar as the deductibility of the incurred disbursements is concerned, each Contracting State may apply its own procedures regarding the burden of proof.
- 3. The provisions of paragraph 2 shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State subject to the difference between the two rates not being more than 10%.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Liston this September 11th day of 1998 in Hindi, Portuguese and English languages, each text being equally authentic, the English text prevailing in case of doubt.

For the Government of the Republic of India

For the Government of the Portuguese Republic

(P.R.KUMARKANGALAM)

(FENANDO TEXEIRA SANTOS)

[Notification No. 11401/F.No. 503/5/91-FTD] VIJAY MATHUR, Jt. Secy.